२०।१०।२१ पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय जमालखेड़ा पेश हुई। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादीगण ने मजमे आम उपस्थित होकर एक लिखित राजीनामा पेश कर विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा वादीगण का दावा स्वीकार किया। अति. चार्ज तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट ली गई। अति. चार्ज तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में उभय पक्ष होना तथा वादीगण प्रतिवादी नंबर 01।

देदाराम
मोहनलाल
नरेन्द्र
ठीकुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	टीकूराम के जानकार हुए होने का कथन किया। तमील वादीगण की तस्दीक हुई एवं पक्षकारान की मजमून सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, लिखित राजीनामा एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व मनन किया गया तथा मजमून जमाबन्दी भी गई। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2070-2073 मौजा [illegible] का नक्शा पटवार क्षेत्र कोलवा के खेत ख.नं. 223, 226 कुल रकबा 119.19 बीघा भूमि प्रतिवादी सं.01 टीकूराम को विरासत में प्राप्त हुई है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 01 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 01 के जायज पुत्र है, जिससे वादीगण के हक उक्त आराजी में जन्म से ही निहित होते हैं तथा प्रतिवादी सं.01 द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर प्रतिवादी उक्त आराजी में वादीगण को भी खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] का नक्शा के खेत ख.नं. 223, 226 रकबा क्रमशः 118.17, 1.02 कुल रकबा 119.19 बीघा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार [illegible] घोषित किया जाता है। इसी प्रकार डिक्री मुर्त्तब जारी की [illegible] पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] जाकर के [illegible] फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार , एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. देदाराम पुत्र टीकूराम
2. मोहनलाल पुत्र टीकूराम
3. तगेन्द्र बेनिवाल पुत्र टीकूराम
   जाति जाट निवासी हूड़ों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. टीकूराम पुत्र गुणेशाराम
   जाति जाट निवासी हूड़ों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88 RTA
मुकदमा नम्बर :— 95/2021
निर्णय दिनांक :— 20.10.2021 (केम्प—ग्राम पंचायत मुख्यालय अणखिया)

वादीगण की ओर से वादीगण स्वय व उनके अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 टीकूराम स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.10.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

वादग्रस्त आराजी सरजद मौजा हूडों की ढाणी पटवार क्षेत्र नौखड़ा के खेत खसरा नम्बर 223, 226 रकबा कमशः 118—17, 1—02 बीघा कुल रकबा 119—19 बीघा की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/4—1/4 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर , गुड़ामालानी

कमांकः वाचक/2021/909

दिनांक : 20/10/21

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर , गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested